रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240812 CG-DL-E-05122022-240812

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5430]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944
No. 5430]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5662(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-148बी	(हरियाणा/राजस्थान सीमा- पनियाला (कोटपुतली के	91.413 किमी
	निकट) – अलवर – बुटियाना खंड)	
	(राजस्थान राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/5/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

8071 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5662(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-148B	(Haryana/Rajasthan border –Paniyala (near Kotputli)-Alwar-Butiyana Section)	91.413 Km.
	(In the State of Rajasthan)	

[F. No. NH-14013/5/2022-P&M]
RAJESH GUPTA, Director